खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जयपुर (राजस्थान)

एफए. प्रकरण संख्या : 0100/2017

1. Shri Namonarain Gupta S/o Shri Pirumnal Gupta (FBO/Owner) Firm-Laxmi Stores, Near Ummed Kanya School, Sojati Gate, Jodhpur, R/o Plot 45, Gali 04, Hanwant A, BJS Colony, Jodhpur.
2. Shri Pankaj Jain S/o Shri Nirmal Kumar Jain, (Holeseller/Owner) Firm M/s Rajasthan Famous Foods Balasati Market, Dhandhiyon Ki Bagachi, Jalori Gate ke Ander, Jodhpur, Kheridiyo Ka Bas, Near Kabatooro ke Chowk, Jodhpur.
3. Smt. Gunwanti Jain W/o Shri Prem Chand Jain (Manufacturer/Owner) Firm M/s Marwari Etables, 66, Industrial Area, Kheraswar Road, Falna, District Pali, R/o Nehru Colony, Falna, District Pali.
4. Shri Pravesh Jain W/o Shri Prem Chand Jain (Vyapar Manager Manufacturer Firm) Firm M/s Marwari Etables, 66, Industrial Area, Kheraswar Road, Falna, District Pali, R/o Nehru Colony, Falna, District Pali.
5. M/s Marwari Etables, 66, Industrial Area, Kheraswar Road, Falna, District Pali, R/o Nehru Colony, Falna, District Pali (Manufacturer Firm)

---Appellants

Versus

1. State of Rajasthan through Commissioner, Food Safety, Swasthaya Bhawan, Jaipur.
2. Food Safety Officer Anil Mittal, Office of Chief Medical & Health Officer, Jodhpur.

…Respondents

उपस्थितः–

1. श्री मयंक गुप्ता अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री वी.डी. गठाला राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण राज्य

:: निर्णय :: दिनांक : 03.01.2018

1. यह अपील योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी, जोधपुर के आदेश दिनांक 17.07.2017 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है जो उनके द्वारा उनके प्रकरण संख्या 44/2016 सरकार बनाम नमोनारायण वगैरा में पारित किया गया

जिसके द्वारा अपीलान्ट सं.01 व 02 प्रत्येक पर 20,000रूपये तथा अपीलान्ट सं. 03, 04 व 05 पर 25,000 रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है।

2. प्रकरण के तथ्यों के अनुसार यह बताया गया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जोधपुर ने मैसर्स लक्ष्मी स्टोर्स से कैर सांगरी आचार का सैम्पल वास्ते जांच हेतु लिया। जांच में खाद्य पदार्थ में कोई कमी नहीं पाई गई परन्तु यह पाया गया कि लेबल पर कैर और सांगरी खाद्य पदार्थ में किस प्रतिशत में है, इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

3. योग्य अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी ने अपील के साथ शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए दस्तावेज प्रस्तुत किये और नया लेबल प्रस्तुत किया है जिसमें सांगरी व कैर खाद्य पदार्थ में किस प्रतिशत में है, इसका उल्लेख किया गया है। ऐसी स्थिति में उनका एकमात्र निवेदन आरोपित शास्ति के बाबत है। उनका कथन है कि तकनीकी त्रुटि है, उसके लिए आरोपित की गई शास्ति अत्यधिक है तथा विक्रेता ने पैकिंग किया हुआ खाद्य पदार्थ विक्रय किया है, अपने स्तर पर विक्रय करने के अलावा अन्य कुछ भी कार्य नहीं किया है इसलिए उसपर शास्ति आरोपित नहीं होनी चाहिए।

4. प्रत्यर्थी की ओर से आलौच्य आदेश की संपुष्टि किए जाने का निवेदन किया।

5. बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। सुसंगत विधि का विवेचन किया।

6. अवधार्य बिन्दु :——

"आया योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी, जोधपुर ने आलौच्य आदेश दिनांक 17.07.2017 को पारित करने में तथ्य एवं विधि की भूल की है?"

7. विनिश्चयः—— अपीलार्थीगण के विरूद्व तय किया जाता है।

8. विनिश्चय के कारणः——

9. हस्तगत प्रकरण में जांच में खाद्य पदार्थ में कोई कमी नहीं पाई गई परन्तु यह पाया गया कि लेबल पर कैर और सांगरी खाद्य पदार्थ में किस प्रतिशत में है, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में आलौच्य आदेश में तथ्य एवं विधि की कोई भूल नहीं है।

10. परन्तु उक्त त्रुटि तकनीकी होना अधिवक्ता अपीलार्थी ने बताया है तथा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेज तथा उनके समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र तथा नया लेबल भी पेश किया है जिसमें सांगरी व कैर खाद्य पदार्थ में किस प्रतिशत में है, इसका उल्लेख किया गया है। प्रकरण की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए तथा इस तथ्य को देखते हुए कि विक्रित किए जा रहे लेबल पर नियमानुसार सुधार कर दिया गया है इस संबंध में अपीलार्थीगण पर जो शास्ति अधिरोपित की गई है, वह निश्चित रूप से समानुपातिक नहीं है। ऐसी स्थिति में शास्ति के बिन्दु पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है चूँकि अब विधि के प्रावधानों की पालना कर दी गई है और पालना की संपुष्टि में नई पैकिंग लेबल शपथपत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई खण्डन नहीं है।

:: आदेश ::

अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आलौच्य आदेश जोकि प्रकरण संख्या 44/2016 सरकार बनाम नमोनारायण वगैरा में पारित किया गया कि अपीलार्थीगण पर जो शास्ति आरोपित की गई, उसे अपास्त करते हुए अपीलार्थी संख्या 01 नमोनारायण व 02 पंकज जैन पर 20,000रूपये के स्थान पर 1,000–1,000रूपये (कुल अक्षरे दो हजार रूपये मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। अपीलार्थी सं. 03 गुणवती जैन, 04 प्रवेश जैन व 05 मैसर्स मारवाड़ी इटेबल्स पर क्रमशः 4,000, 4,000 व 2,000रूपये (कुल अक्षरे दस हजार रूपये मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। निर्णय की एक प्रति अपीलार्थीगण को निःशुल्क प्रेषित की जावे।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 03.01.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर